बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सचिका सं0 – 03/भू0अ0नि0(05)–अपील –07/2023...4303...दिनांक...05/06/2023

आदेश

प्रस्तुत अपील ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अर्न्तगत अपीलार्थी श्री पंकज कुमार (EMP ID – AEN02262) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश संख्या 328 दिनांक 12.01.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री पंकज कुमार को सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई है। निर्धारित तिथि को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि निदेशालय के पत्रांक 288 दिनांक 10.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया। कतिपय ब्यस्तताओं के कारण मैने दिनांक 12.01.2023 को स्पष्टीकरण का जबाब दाखिल किया। परन्तु दिनांक 12.01.2023 को हीं निदेशालय पत्रांक 328 दिनांक 12.01.2023 द्वारा मेरा संविदा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त पत्र में मुझे बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ का महामंत्री बताते हुए दिनांक 10.01.2023 से विभिन्न जिलों में पदस्थापित संविदा नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण का कार्य बंद कर देने का आह्वान किया गया है, का आरोप लगाते हुए मेरा संविदा अनुबंध रद्द कर दिया गया।

बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का प्रथम राज्य सम्मेलन दिनांक 25.12.2022 को महासंघ गोप गुट के संरक्षण में आहुत हुआ। जिसमें मुझे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कल्याण हेतु महामंत्री निर्वाचित किया गया। संघ के आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार निदेशालय एवं विभाग में लंबित मांगो/समस्याओं के अनुपालन हेतु दिनांक 10.01.2023 से ऑन लाईन उपस्थिति दर्ज करते हुए विरोध प्रकट करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय मेरी व्यक्तिगत राय न होकर एक सामुहिक निर्णय था। संघ का एक निर्वाचित महामंत्री होने के नाते संघ के आम सभा में पारित निर्णयानुसार किया गया, जो अलोकतांत्रिक नही है। मेरे एवं मेरे संघ द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से विधिवत् निर्वाचित संगठन के बैनर तले एक अनुशासित सिपाही की भांति संविधान प्रदत वाणी अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने लोकतांत्रिक मांगों की पूर्ति हेतु लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया गया है। निदेशक महोदय ने अपने पारित आदेश में निदेशालय के पत्रांक 288 दिनांक 10.01.2023 द्वारा अनुशासनहीनता, स्वेच्छचारिता एवं सरकारी कार्यो में वाधा पहुँचाने एवं अन्य कर्मियों को कार्य न करने के लिए उकसाने के आरोप में संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग 24 घंटे के अन्दर की गई थी। जिसका अनुपालन दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा ई–मेल के माध्यम से समर्पित

किया गया। परन्तु निदेशालय द्वारा हमारा स्पष्टीकरण दिनांक 12.01.2023 तक उपलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाकर मेरा संविदा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है।

विशेष सर्वेक्षण कर्मी संघ का एक निर्वाचित महामंत्री होने के नाते मैने अपने संघीय दायित्वों का लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक सत्याग्रह/धरना, कर्त्तव्यों का पालन किया है। निदेशक महोदय द्वारा अखवारो के माध्यम से दिनांक 21.01.2023 को वार्त्ता हेतु बुलाये जाने पर अपने संघ के सदस्यों सहित निदेशक महोदय से वार्ता हेतु उपस्थित होकर एक अनुशासित कर्मी का परिचय दिया। साथ ही संघ एवं शासन के बीच सेतु का काम कर सत्याग्रह/धरना समाप्त करवाने का निर्णय पारित कर अपने संघ के दायित्वों के साथ–साथ एक अनुशासित कर्मी का परिचय दिया। हमारे द्वारा किसी भी सरकारी पत्र को न ही जलाया गया है और न ही भड़काऊ भाषण देकर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को कार्य के प्रति घृणा एवं अवमानना पैदा करने का प्रयास किया गया है और ना हीं कार्य में बाधा डालने हेतु उकसाया गया है।

सत्याग्रह करने का निर्णय, मेरा व्यक्तिगत न होकर संघ के कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार लिया गया है जो किसी भी संघ एवं उसके सदस्यों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनतांत्रिक अधिकार है। सत्याग्रह के दौरान हुई नारेबाजी अथवा किसी कृत्य से अगर भवदीय तथा उच्चधिकारियों को कोई असुविधा हेतु नैतिक दायित्व के तहत् मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। सत्याग्रह/धरणा में उग्र विरोध हो जाया करते है। परन्तु सुलह–समझौते के पश्चात् सभी संघ के सदस्य एक निष्ठ होकर अपने कर्त्तव्य में जुट जाते है, जैसे हमने किया है। इस प्रकार निदेशालय पत्रांक 328 दिनांक 12.01.2023 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर संविदा अनुबंध को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की कृपा की जाए। आरोपित ने अपने अपील के साथ एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि मैं बिहार राज्य भू–माप एवं बन्दोबस्त–सह–चकबंदी कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन का कार्य किया हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया जायेगा न हीं किसी भी माध्यम से विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को ऐसी गतिविधि में शामिल होने के लिए उकसाऊँगा। मैं सरकार के महत्वपूर्ण विशेष सर्वेक्षण कार्यो को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करूँगा। मुझे किसी प्रकार की समस्या होने पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार के माध्यम से विभाग एवं निदेशालय को सूचित करूँगा एवं विधिसम्मत अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मेरे द्वारा भविष्य में विशेष सर्वेक्षण कार्य को बाधित किया जायेगा तो विभाग मेरे विरूद्ध कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना ने अपने मंतव्य में स्पष्ट किया है कि श्री पंकज कुमार कथित महामंत्री, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण कर्मी संघ द्वारा दिनांक 10.01.2023 से विभिन्न जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से पत्र के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण संबंधी कार्य बंद करने का आह्वान किया गया है। श्री कुमार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में कार्यालय पत्रांक 288 दिनांक 10.01.2023 द्वारा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं विभिन्न जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को कार्य न करने हेतु उकसाने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार ने उक्त स्पष्टीकरण को जलाते हुए अपना वीडियो सोशल मिडिया पर प्रसारित किया। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का उतर ससमय न देकर सरकारी पत्रों को जलाने का अपराध किया गया है। साथ ही जिलों में कार्यरत

विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के बीच सर्वेक्षण कार्य के प्रति घृणा एवं अवमानना फैलाने का अपराध किया है। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निश्चित अवधि में पूरा किया जाना है। उक्त कार्य में श्री कुमार द्वारा न केवल बाधा पहुँचाई गई बल्कि अन्य जिलों के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को कार्य न करने के लिए उकसाया गया है। उक्त के आलोक श्री पंकज कुमार का अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने तथा अन्य जिलों के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को कार्य न करने के लिए उकसाने के आरोप में संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।

उभयपक्षों को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री पंकज कुमार पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध लगाये गए आरोप सत्य हैं, तथा इनके द्वारा अपने निर्दोष होने संबंधी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या 328 दिनांक 12.01.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक श्री पंकज कुमार (EMP Id-02262) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर मुख्य सचिव

–सह–

अपीलीय प्राधिकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार, पटना

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(05)–अपील –07/2023 4703 पटना, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि : श्री पंकज कुमार, (EMP ID –AEN02262) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, शेखपुरा, e-Mail Id- pankajalto39@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(05)–अपील –07/2023 4703 पटना, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबरत पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) शेखपुरा, को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(05)–अपील –07/2023 4703 पटना, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि : संबंधित स्थापना, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

B:\Dharmveer\Y-2023\B.Mishra Sir\Order\07-2023___ 19-05-2023.docx

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –07 / 2023 4203 पटना, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –07 / 2023 4203 पटना, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि : श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप